राजस्थान शासन हुक्म

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30-5-2022	पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~भ्रमण पर है/अवकाश पर है/~~अन्य कार्यो मे व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 4-7-2022 को पेश हो। रीडर
4/7/22	पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का ~~बहिष्कार~~ स्थगन किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/ अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 8/8/22 को पेश हो। रीडर
8/8/22	पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का ~~बहिष्कार~~ स्थगन किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर/अवकाश पर~~/ अन्य कार्यो मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 19/9/22 को पेश हो। रीडर
19/9/22	पत्रावली पेश हुई पत्रावली मे कईबार आवाज लगवाने के उपरांत भी स्वयं वादी और उनके वकील हाजिर अदालत नही हुए है अतः पत्रावली दावा अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है पत्रावली फैसला शुमार होकर नियमानुसार से उम्र दो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

रामचन्द्र बनाम मूडपा वगै मु.न. 30/12

हुकम या कार्यवाही मय इनोशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17-1-14 पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर / अवकाश पर~~ / अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि0 15-2-14 को पेश हो। रीडर	
15-2-14 पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब (चुनाव कार्य में व्यस्त है) ~~दौरे पर है। अवकाश पर है। का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि0 19-1-15 को पेश हो। रीडर	
19-1-15 पत्रावली पेश हुई / ~~वकील वादी~~ / वकील उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. साहब (चुनाव कार्य में व्यस्त है) ~~दौरे पर है। अवकाश पर है। का स्थानान्तरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली दि0 16-3-15 को पेश हो। रीडर	
16-3-15 पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर / अवकाश पर~~ / अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दि0 30-3-15 को पेश हो। रीडर	
30-3-15 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। बहस T.I. सुनी गई। वादग्रस्त भूमि की मौका व रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु उभयपक्ष को तार्फैसला दावा T.I. से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)	

निर्णय न्यायालय श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30 / 2012	24.02.2012	30.03.2015

रामधन पुत्र किशोरी, मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी —सायल

बनाम

1. मूड्या पुत्र विष्णु, मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
2. बबरी पुत्री विष्णु, मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
3. हंसो बाई पुत्री भजन, मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
4. मोहन बाई पुत्री भजन, मीना निवासी टोकसी तहसील गंगापुर सिटी
5. तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. उप पंजीयक गंगापुर सिटी

—गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, सायल की ओर से
श्री रवि कुमार शर्मा, एडवोकेट, गैरसायल नं0 1, 2 की ओर से
श्री हरिशंकर शर्मा, एडवोकेट, गैरसायल नं0 3, 4 की ओर से

निर्णय

सायल ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि सायल एवं गैरसायल नं0 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य हैं। ग्राम टोकसी की भूमि ख0नं0 317 रकबा 29 एयर, ख0नं0 318 रकबा 17 एयर, ख0नं0 319 रकबा 50 एयर, ख0नं0 600 रकबा 28 एयर, ख0नं0 924 रकबा 16 एयर, ख0नं0 925 रकबा 18 एयर, ख0नं0 926 रकबा 14 एयर, ख0नं0 1392 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1550 रकबा 78 एयर कुल रकबा 3.22 हैक्टर सायल एवं गैरसायल नं0 1 लगायत 4 की शामिल खातेदारी की भूमि है। सायल का इसमें 1/3 हिस्सा दर्ज है। इस भूमि का अभी तक कोई बंटवारा नहीं हुआ है। गैरसायल रामप्यारी बेवा भजन, कजोडी बेवा विशन का देहावसान हो चुका है। रामप्यारी के हिस्से की एक मात्र उत्तराधिकारी हंसा बाई एवं मोहन बाई है। कजोड बेवा विशन की उत्तराधिकारी मूडया व बबरी है। दिनांक 15.2.12 को मूडया व बबरी से सायल ने कहा कि तहसील में चलकर अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि का अलग अलग खाता करवा लेते हैं तथा मौके पर जमीन बांट लेते हैं तो वे गुस्सा हो गए तथा बंटवारा करने से स्पष्ट मना कर दिया। गैरसायल नं0 1 लगायत 4 उपरोक्त वर्णित आराजियात को रहन, बय, मुन्तकिल करने पर आमादा हैं एवं सायल के कब्जे काश्त में भी मजाहमत व मदाखलत करते हैं । अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायल नं0 1 ता 5 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे भूमि ख0नं0 317 रकबा 29 एयर, ख0नं0 318 रकबा 17 एयर, ख0नं0 319 रकबा 50 एयर, ख0नं0 600 रकबा 28 एयर, ख0नं0 924 रकबा 16 एयर, ख0नं0 925 रकबा 18 एयर, ख0नं0 926 रकबा 14 एयर, ख0नं0 1392 रकबा 72

एयर, ख0नं0 1550 रकबा 78 एयर कुल रकबा 3.22 हैक्टर ग्राम टोकसी को किसी प्रकार रहन, बय, मुन्तकिल नहीं करे न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजामत व मदाखलत उत्पन्न करें एवं अप्रार्थी नं0 6 उप पंजीयक गंगापुर सिटी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे दौराने वादपत्र उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की विक्रय पत्र की रजिस्ट्री पंजीयन नहीं करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को तलब किया गया। गैरसायल नं0 5, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

गैरसायल संख्या 3 व 4 ने टी0आई0 प्रार्थना पत्र का स्वीकारोक्तिपूर्ण जबाब प्रस्तुत किया है।

गैरसायल संख्या 1 व 2 ने जबाब में अंकित किया है कि पक्षकारान एक ही पूर्वज की सन्तान हैं। वादग्रस्त भूमि सायल व गैरसायल नं0 1 ता 4 के पितागण किशोरी, भजनलाल व विशनु की अब से करीब 20 साल पहले तक शानलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त समस्त आराजी का सायल व गैरसायल सं0 1 ता 4 के पितागण के बीच अपने जीवनकाल मे ही अव से करीब 20 साल पहले ही मौके पर जबाब दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार मौखिक विभाजन हो गया। तभी से सभी खातेदारान अपने अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल का हिस्सा 1/3 दर्ज होने से ही सायल की नियत में खोट आ गया है। सायल का यह कथन गलत है कि रामप्यारी बेवा भजन के हिस्से की एक मात्र उत्तराधिकारी गैरसायला सं0 3 व 4 है बल्कि वास्तविकता यह है कि गैरसायल संख्या 2 बबरी को उसकी करीब 10 वर्ष की वाल्यावस्था में ही उसके ताऊ भजनलाल व ताई रामप्यारी ने अपने कोई ओरस पुत्र न होने से करीब 43 साल पहले गोद ले लिया तभी से गैरसायल संख्या 2 भजनलाल के दत्तक पुत्र की हैसियत से उनके साथ रहकर अपने दत्तक माता पिता की सेवा सुश्रुषा करता आ रहा है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि किशोरी, भजनलाल, विशनु उर्फ विष्णुलाल पिता रतनलाल मीना की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। सायल किशोरी का पुत्र का है। गैरसायल संख्या 1 व 2 विशुनुके पुत्र हैं एवं गैरसायल सं0 3 व 4 भजनलाल की पुत्रियां हैं। गैरसायल संख्या 2 बबरी को उसके ताऊ भजनलाल ने करीब 43 साल पहले गोद ले लिया था तभी से गैरसायल संख्या 2 भजनलाल का दत्तक पुत्र होने की हैसियत से उनके साथ रहकर अपने दत्तक माता पिता की सेवा करता आ रहा है। भजनलाल व रामप्यारी के मरने के बाद उनके दाह संस्कार व सारे क्रियाकर्म गैरसायल नं0 2 ने ही सम्पन्न किए तथा भजनलाल की पगडी भी गैरसायल सं0 2 के ही बंधी। किशोरी, भजनलाल, विशनु की एक विवाहित बहिन मु0 अमरबाई और थी जो ताजिन्दगी अपने तीनों भाईयों के पास ही रही। उसके सोने चांदी के जेवर व नकल धनराशि सायल व गैरसायल नं0 3 व 4 ने उसकी मृत्यु के बाद अपने कब्जे में कर ली जबकि अमरबाई की चल अचल सम्पत्ति पर मिन

जवाबदार का भी बराबर का हक है। वादग्रस्त भूमि अब से करीब 20 साल पहले तक 1/3, 1/3 हिस्से की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है उसके बाद तीनों खातेदारान ने उक्त समस्त आराजियात का अपने जीवनकाल में ही मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से मौखिक विभाजन कर लिया था। इसका विवरण इस प्रकार है। किशोरी के हिस्से में भूमि ख0नं0 319 रकबा 50 एयर एवं 924 रकबा 16 एयर का सम्पूर्ण रकबा, ख0नं0 1392 में पूर्वी तरफ की भूमि में नक्शे अनुसार पूर्व पश्चिम लम्बाई में तीसरा हिस्सा उत्तरी तरफ का तथा इसी ख0नं0 में शेष भूमि में उत्तर दक्षिणी तीन बराबर हिस्से होकर पूर्वी तरफ का हिस्सा, इसी तरह ख0नं0 1550 में पूर्व पश्चिम लम्बाई में तीन बराबर हिस्से होकर दक्षिणी तरफ का हिस्सा तथा ख0नं0 600 में उत्तर दक्षिण लम्बाई में तीन बराबर हिस्से होकर पूर्वी तरफ का हिस्सा । भजनलाल के हिस्से में भूमि ख0नं0 318 रकबा 17 एयर, 328 रकबा 14 एयर का सम्पूर्ण रकबा ख0नं0 1392 का दक्षिणी पूर्वी तरफ का हिस्सा व पश्चिमी तरफ का हिस्सा, ख0नं0 1550 में बीच वाला हिस्सा , ख0नं0 600 में भी बीच वाला हिस्सा। विशनु उर्फ विष्णुलाल के हिस्से में ख0नं0 317 रकबा 29 एयर व 925 रकबा 18 एयर का सम्पूर्ण रकबा, ख0नं0 1392 में पूर्वी तरफ नक्शे अनुसार बीच वाला हिस्सा एवं शेष पश्चिमी तरफ की भूमि में बीच वाला हिस्सा, ख0नं0 1550 में उत्तरी तरफ का हिस्सा, ख0नं0 600 में पश्चिमी तरफ हिस्सा। पक्षकारों के पितागण उपरोक्त तीनों खातेदारान की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का उपरोक्त हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है। विशनु की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि पर गैरसायल नं0 1 व 2 का संयुक्त कब्जा चला आ रहा है। जबाबदार बबरी के दत्तक पिता भजनलाल की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि पर गैरसायल 2 लगायत 4 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किशोरी की मृत्यु के बाद उसके हिस्से की भूमि पर सायल का कब्जा चला आ रहा है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि टी0आई0 प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे तथा गैरसायल नं0 1 व 2 की काउन्टर टी0आई0 स्वीकार फरमाई जाकर सायल को पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त भूमि ख0नं0 317 रकबा 29 एयर, ख0नं0 318 रकबा 17 एयर, ख0नं0 319 रकबा 50 एयर, ख0नं0 600 रकबा 28 एयर, ख0नं0 924 रकबा 16 एयर, ख0नं0 925 रकबा 18 एयर, ख0नं0 926 रकबा 14 एयर, ख0नं0 1392 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1550 रकबा 78 एयर कुल रकबा 3.22 हैक्टर ग्राम टोकसी के मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें।

प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में सायल ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 की फोटोकोपी, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2067 की फोटोकोपी, नकल नक्शा ट्रेस की फोटोकोपी, नकल आर्डरशीट दिनांक 6.3.2012 मु0नं0 32/12 उनवानी रामधन बनाम मूडया न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर पेश की है।

गैरसायलान की ओर से जबाब व काउन्टर टी0आई0 के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई ।

सायल के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि सायल व गैरसायल नं0 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे की भूमि है जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है। गैरसायल नं0 1 ता 4 से सायल ने भूमि का विभाजन कराने को कहा परन्तु उन्होंने विभाजन नहीं कराया एवं वे सायल को कब्जे काश्त में दखल देते हैं। अतः गैरसायलान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

गैरसायल नं0 1, 2 के विद्वान वकील ने अपने जवाब व काउन्टर टी0आई0 के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के पितागण ने अपने जीवनकाल में ही विभाजन कर लिया था एवं विभाजन के दौरान जो भूमि जिसको मिली उसी अनुसार वे अपने जीवनकाल में भूमि काश्त करते रहे एवं उनके बाद पक्षकारान उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे हैं। गैरसायल नं0 2 मृतक भजनलाल का दत्तक पुत्र है क्योंकि भजनलाल ने गैरसायल नं0 2 को अब से करीब 43 वर्ष पहले गोद ले लिया था। पक्षकारों के पितागण के मध्य हुए विभाजन के समय भूमि जिस प्रकार उनके हिस्से में आई उसका विवरण जवाब में प्रस्तुत किया गया है । भूमि के कब्जे काश्त में सायल गैरसायल नं0 1 व 2 को बाधा उत्पन्न करता है इसलिए सायल का टी0आई0 प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए सायल को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया । सायल द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त भूमि सायल एवं गैरसायल नं0 1 ता 4 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल नं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब, काउन्टर टी0आई0 में दर्ज किए गए तथ्यों के समर्थन में कोई दस्तावेज गैरसायलान ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। जहां तक वादग्रस्त भूमि का विभाजन होने तथा गैरसायल नं0 2 का भरतलाल के यहां गोद जाने का प्रश्न है, यह तथ्य किसी दस्तावेज से समर्थित नहीं है एवं वैसे भी इन बिन्दुओं पर निर्णय मूल वाद में ही होना है इसलिए यहां केवल कब्जे की व रिकार्ड की स्थिति ही देखी जानी उचित है। रेकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि पक्षकारों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा भूमि का पक्षकारों के मध्य विभाजन का कोई तथ्य टी0आई0 प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय तक पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में कोई भी पक्ष एक दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम वादग्रस्त भूमि की ताफैसला दावा मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखने हेतु दोनों ही पक्षों को पाबंद करना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार उभयपक्षकारान को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमि ख0नं0 317 रकबा 29 एयर, ख0नं0 318 रकबा 17 एयर, ख0नं0 319 रकबा 50 एयर, ख0नं0 600 रकबा 28 एयर, ख0नं0 924 रकबा 16 एयर, ख0नं0 925 रकबा 18 एयर, ख0नं0 926

रकबा 14 एयर, ख0नं0 1392 रकबा 72 एयर, ख0नं0 1550 रकबा 78 एयर कुल रकबा 3.22 हैक्टर ग्राम टोकसी की ताफैसला दावा मौका एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत बनाए रखें ।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं वाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे ।

निर्णय आज दिनांक 30.3.2015 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी श्री मुनिदेव यादव, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
30/2012	24.02.2012	23.06.2014

रामधन बनाम मूड्या वगैरा

दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0

उपस्थितः– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 3, 4 की ओर सें
श्री दिनेश डांस, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी मुकदमे में प्रतिवादी नं0 3, 4 की ओर से प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 इस आशय का पेश किया गया वादी रामधन द्वारा प्रस्तुत इस दावे में प्रतिवादी सं0 1, 2 ने अपना जबाब दावा पेश किया है उसके साथ ही एक काउन्टर क्लेम इस आशय का पेश किया है कि प्रतिवादी सं0 2 बबरी भजनलाल के गोद गया है तथा गोद के आधार पर वह भजनलाल के नाम दर्ज हिस्सा 1/3 भूमि में हिस्सा 1/5 प्राप्त करने का अधिकारी है। चूंकि वर्तमान में भजनलाल के नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है, भूमि हंसो वाई, मोहन वाई पुत्रियां भजनलाल के नाम दर्ज है तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4 के विरूद्ध पेश किया है जबकि दावा मात्र तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है । ऐसी स्थिति में घोषणां की रिलीफ का काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया जा सकता है तथा प्रतिवादी ही प्रतिवादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम कानूनन पेश नहीं कर सकता है। पृथक से दावा लेकर आना चाहिए था। ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 1 व 2 खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 1 व 2 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में प्रतिवादी नं0 1, 2 ने अंकित किया है कि प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधिक रूप से चलने योग्य है। वादी द्वारा पेश दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है एवं यह विधिक स्थिति है कि तकासमा के दावे के प्रत्येक पक्षकार वादी की तरह ही ट्रीट माने जाते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना काउन्टर क्लेम नियमानुसार न्याय शुल्क पर पेश किया है इसलिए वादी का यह कथन कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध काउन्टर क्लेम पेश नहीं किया जा सकता हो कतई असत्य एवं अविधिक कथन है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 मिन जबाबदार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम का जबाब सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुरूप देना चाहे तो उसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं व करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रार्थना पत्र सी0पी0सी0 के आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के किसी भी प्रावधान के अनुकूल व उसके तहत उसकी परिधि में नहीं आता है। अतः जबाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 3, 4 खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी गई।

प्रतिवादी नं0 3 व 4 के वकील ने अपनी बहस में कहा कि एक प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम नहीं ला सकता है। इसके अलावा काउन्टर क्लेम में प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने घोषणां चाही है जबकि मूल दावा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है इसलिए इसमें घोषणां का काउन्टर क्लेम भी नहीं चल सकता है। अतः प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी नं0 1 , 2 के वकील ने अपनी बहस में कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत एक प्रतिवादी द्वारा दूसरे प्रतिवादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम पेश किया जा सकता है । अपने कथन के समर्थन में उन्होने न्याय दृष्टान्त 2012(4) सिविल कोर्ट केसेज 765 झारखंड हाईकोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी नं0 3, 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

कलेक्टर

रिबटल में प्रतिवादी नं0 3, 4 के विद्वान वकील ने कहा कि प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम कानून की मंशा के विरूद्ध है एवं चलने योग्य नहीं है। एक प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम पेश नहीं कर सकता है, अपने क्लेम के लिए उसे पृथक से दावा लाना चाहिए । अपने कथन के समर्थन में उन्होने न्याय दृष्टान्त 2013(2) सिविल कोर्ट केसेज 339 अलाहबाद हाईकोर्ट पेश किया है।

बहस पर मनन किया । प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का अवलोकन किया। काउन्टर क्लेम पेश किए जाने सम्बन्धी कानूनी प्रावधान का अवलोकन किया। कानूनी प्रावधान में प्रतिवादी द्वारा वादी के विरूद्ध ही काउन्टर क्लेम पेश किए जाने का हवाला दिया गया है। प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के तहत नहीं आता है एवं ऐसा ही मत न्याय दृष्टान्त 2013(2) सिविल कोर्ट केसेज 339 अलाहबाद हाईकोर्ट में व्यक्त किया गया है जिससे हम सहमत हैं फलस्वरूप प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से प्रतिवादी नं0 3 व 4 के विरूद्ध प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रतिवादी नं0 3 व 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से प्रतिवादी नं0 3 व 4 के विरूद्ध प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज किया जाता है। प्रतिवादी नं0 1 व 2 चाहें तो प्रतिवादी नं0 3 व 4 के विरूद्ध पृथक से दावा लाने के लिए स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2014 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी